

48

155

समक्ष श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा जिला रीवा म.प्र.

7
10-1-14

R-325-II14



RS-201-

1-सिद्धनाथ तनय हरिवंशराम ब्राम्हण

2-चन्द्रभूषण तनय हरिवंशराम ब्राम्हण

3-पन्नालाल तनय हरिवंशराम ब्राम्हण

सभी निवासी ग्राम बधऊ तह. चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

बनाम्

1-सम्पत पटेल तनय मनमोहन पटेल ग्राम बधऊ चुरहट जिला सीधी म.प्र.

2-शिवमूर्ति तनय मनमोहन पटेल ग्राम बधऊ चुरहट जिला सीधी म.प्र.

3-मनमोहन

4-रामलाल

5-वंशगोपाल

6-प्यारेलाल

7-रामायण पटेल

8-हनुमान

सभी तनय स्व. काली प्रसाद

9-कुसुम तिवारी

10-पारस तिवारी

11-शरदचन्द्र

12-प्रभात तिवारी

सभी तनय शीतला प्रसाद

सभी निवासी ढाबा तहसील हनुमना जिला रीवा (म.प्र.)

13-राजकुमार

14-राजेश्वर प्रसाद बैदेही राम ब्राम्हण साकिन बधऊ तह. चुरहट जिला सीधी (म.प्र.)

.....गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश अपर
कलेक्टर जिला सीधी (म.प्र.) प्रकरण कं.

362/निगरानी/2011-12 आदेश दिनांक

30.08.2013

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959


.....2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सीधी

प्रकरण क्रमांक R-325-II/14

सिद्धनाथ ब्रा0/सम्पत पटेल

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सन्तोष मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 362/निग0/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25. 09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	